

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।

देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-

- अन्त्योदय अन्य योजना - 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-

- कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



खाद्य तथा रसद विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन  
जनपद : लखनऊ

राशन कार्ड क्रमांक : 215720343742  
टाउन : LUCKNOW  
मुखिया का नाम : कमलापति  
पिता / पति का नाम : मेडीलाल  
श्रेणी/जाति :  
निवास का पता : Madharmau khurd, Bakkas  
Lucknow - 226002  
आधार /इनरोलमेंट नं० : XXXX XXXX 9267  
गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :  
गैस एजेंसी का नाम :  
उचित दर दुकान :  
यूनिटों का विवरण : 1 (One)

दिनांक : 10-06-2024

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम - २०१३ के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड  
IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP. Print at :

परिवार की सदस्यों की सूची

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	कमलापति	मेडीलाल	स्वयं